C.A

27/11/17

पत्रावली पेश [illegible] कॉल वादी उपस्थित है।
पक्षकारान [illegible] है। पूर्व [illegible]
पत्रावली [illegible] बहस हेतु
न्यायहित में [illegible] अनेक अवसर
दिये जाने के बावजूद वकील वादी
द्वारा आज दिनांक तक बहसवास पेश
नहीं किया है अतः वादी द्वारा प्रस्तुत
वाद 0125 में खारिज किया जाता है
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर
कर दी। आदेश खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner